उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-137/2016/1076/26-3-2016-10(8)/2016

लखनऊ दिनांकः 31 मार्च, 2016

कार्यालय- ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत संलग्नक में अंकित विवरण के अनुसार लेखाशीर्षक के अंतर्गत योजनावार उनके सम्मुख अंकित मदों में आयोजनागत पक्ष में रूपया-8,60,08,23,000/-(रूपये आठ अरब साठ करोड़ आठ लाख तेईस हजार मात्र) के बचत को एतद्द्वारा वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है।

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

संख्या-ई-3-660/दस-2016

लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2016

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत संलग्नक में अंकित विवरण के अनुसार लेखाशीर्षक के अंतर्गत योजनावार उनके सम्मुख अंकित मदों में आयोजनागत पक्ष में रूपया-8,60,08,23,000/-(रूपये आठ अरब साठ करोड़ आठ लाख तेईस हजार मात्र) के बचत की धनराशि वित्त विभाग में पुनर्ग्रहीत कर ली गयी है।

आज्ञा से,

राम सुमेर

अनुसचिव

संख्या-137/2016/1076(1)/26-3-2016-तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

2-निदेशक, छत्रपति शाहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

3-सचिव, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ।

4-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।

5-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

6-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुदान संख्या–83

संख्या–137/2018/1075/25–3–2015–10(3)/2015 दिनांक–31.03.2018 का संलग्नक

वर्ष–2015–16 के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष समर्पण का विवरण

अनुदान संख्या–83

समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

आयोजनागत

(रू0 हजार में)

लेखाशीर्षक/मानक मद/योजना	आय–व्ययक प्राविधान 2015–16	समर्पित धनराशि	बचत का कारण
1	2	3	4
राजस्व लेखा			
2225–अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
01–अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
0101–अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के इंजीनियरिंग एवं कृषि स्नातक, पशु चिकित्सा, वाणिज्य आदि विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक की स्थापना (के. 50/रा. 50 के.+रा.)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	20000	20000	शासन से स्वीकृत प्राप्त न होने के कारण
0102–शैक्षिक संस्थाओं/वि0वि0 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु अनुदान (के 45/रा 45 के+रा)			
20–सहायक अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	50000	50000	तदैव
0103–अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के लिये छात्रवृत्ति ((के. 100/रा.–के.)			
21–छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	22347165	4319884	एन0आई0सी0 से मांग जनरेट न होने के कारण।
0104–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत योजना (100 प्रतिशत भारत सरकार सहायता)			
21–छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	6954	6954	शासन से स्वीकृत प्राप्त न होने के कारण
42–अन्य व्यय	5046	5046	शासन से स्वीकृत प्राप्त न होने के कारण
योग–04	**12000**	**12000**	
0105–अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें (के. 100/रा0–के.)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1310000	1283645	रू0 12836.45 लाख की शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने कारण
0106–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वरोजगार योजनाओं में अनुदान (100 प्रतिशत भा0स0)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	703580	203580	रू0 2035.80 लाख अवमुक्त नहीं।
0107–किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत दुकान निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता से अंशदान (के. 100/रा0–के.)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	78000	56500	रू0 565.00 लाख शासन से अवमुक्त नहीं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1	2	3	4
0108–परिसम्पत्ति निर्माण की अन्य योजनाओं की लागत में केन्द्रीय सहायता से अंशदान (के. 100/रा.–के.)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	120000	34410	रू0 300.00 लाख की शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने कारण व जनपदों से समर्पण प्राप्त होने के कारण।
0109–सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान (के0 100/रा0–के0)			
01–वेतन	1200	938	आवश्यकतानुसार व्यय
03–मंहगाई भत्ता	1440	1135	आवश्यकतानुसार व्यय
04–यात्रा व्यय	80	80	आवश्यकतानुसार व्यय
06–अन्य भत्ते	360	308	आवश्यकतानुसार व्यय
08–कार्यालय व्यय	150	115	आवश्यकतानुसार व्यय
11–लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	75	75	आवश्यकतानुसार व्यय
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	75	75	आवश्यकतानुसार व्यय
13–टेलीफोन व्यय	60	60	आवश्यकतानुसार व्यय
14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों और मोटर गाड़ियों का क्रय	1	1	आवश्यकतानुसार व्यय
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि का क्रय	1000	730	आवश्यकतानुसार व्यय
18–प्रकाशन	800	764	आवश्यकतानुसार व्यय
42–अन्य व्यय	300	251	आवश्यकतानुसार व्यय
45–आकाश यात्रा व्यय	40	40	आवश्यकतानुसार व्यय
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	200	200	आवश्यकतानुसार व्यय
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	300	234	आवश्यकतानुसार व्यय
49–चिकित्सा व्यय	200	185	आवश्यकतानुसार व्यय
योग–0109	6321	5206	
0110–समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत पी0सी0आर0 सेल का गठन (के0 50 रा0 50)			
01–वेतन	538	538	
03–मंहगाई भत्ता	646	646	
04–यात्रा व्यय	50	50	
06–अन्य भत्ते	150	150	
07–मानदेय	30	30	
08–कार्यालय व्यय	60	42	
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि का क्रय	265	265	
26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	100	100	
42–अन्य व्यय	315	315	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1	2	3	4
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100	97	
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	75	48	
योग–0110	2329	2281	
0111–अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भा0स0)(जि0यो0) (के. 50/रा.50–के.+रा.)			
19–विज्ञापन/बिक्री एवं विख्यापन व्यय	10000	4642	आवश्यकतानुसार व्यय
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	384480	10615	तदैव
42–अन्य व्यय	66	24	तदैव
योग–11	394546	15281	
0112–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं का सर्वेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण शतप्रतिशत केन्द्र पोषित (के. 100/रा.0–के.)			
42–अन्य व्यय	5000	2500	रू0 25.00 लाख की शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने कारण
0113–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार/जागरूकता कार्य (के. 100/रा0–के.)			
42–अन्य व्यय	8094	1094	रू0 10.94 लाख शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने कारण
0116–बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के कार्यालय हेतु कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था (के.0/रा.100–रा.)			
07–मानदेय	50	50	आवश्यकतानुसार व्यय न होने के कारण
08–कार्यालय व्यय	30	30	आवश्यकतानुसार व्यय न होने के कारण
11–लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	70	70	आवश्यकतानुसार व्यय न होने के कारण
42–अन्य व्यय	90	90	आवश्यकतानुसार व्यय न होने के कारण
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	40	40	आवश्यकतानुसार व्यय न होने के कारण
योग	280	280	
0118–आई0ए0एस0 पी0सी0एस0 मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5500	1430	आवश्यकतानुसार व्यय
0120–अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति के (के.100/रा.0–के.)			
21–छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	1867500	1679931	रू0 15061.19 लाख की शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने कारण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1	2	3	4
0121–सड़कों पर जूत गाँठने वाले अनुसूचित जाति के कारीगरों हेतु दुकान निर्माण (के. 100/रा.0–के.)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	29016	29016	रू0 290.16 लाख की शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
योग–01 :–	**26950681**	**7709551**	
03–राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9–10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये बुक बैंक की स्थापना			
42–अन्य व्यय	1	1	टोकन प्राविधान होने के कारण।
04–राज्य सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9–10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए बुक बैंक की स्थापपना			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1	1	टोकन प्राविधान होने के कारण।
05–छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	10100	7405	
08–अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र			
01–वेतन	2000	500	शा0सं0 48/2016/642/26–3–2016 दि0 17.3.2016 द्वारा इसी अधिष्ठान के मानक मद 09–विद्युत में किया गया।
03–मंहगाई भत्ता	2400	900	
04–यात्रा व्यय	50	50	मांग प्राप्त न होने के कारण
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	40	40	मांग प्राप्त न होने के कारण
06–अन्य भत्ते	300	300	मांग प्राप्त न होने के कारण
07–मानदेय	4000	473	आवश्यकतानुसार व्यय
08–कार्यालय व्यय	100	6	आवश्यकतानुसार व्यय
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	75	10	आवश्यकतानुसार व्यय
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	75	15	आवश्यकतानुसार व्यय
13–टेलीफोन पर व्यय	70	48	आवश्यकतानुसार व्यय
41–भोजन व्यय	3000	349	आवश्यकतानुसार व्यय
42–अन्य व्यय	500	53	आवश्यकतानुसार व्यय
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	500	38	आवश्यकतानुसार व्यय
51–वर्दी	10	10	मांग प्राप्त न होने के कारण
योग 08 :–	**13120**	**2792**	
09–राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण			
29–अनुरक्षण	50000	2607	रू0 5.475 लाख की शासन से स्वीकृत प्राप्त न होने कारण।
10–अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावासों का संचालन			
01–वेतन	4430	2798	आवश्यकतानुसार व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1	2	3	4
03–मंहगाई भत्ता	5316	3494	आवश्यकतानुसार व्यय
04–यात्रा व्यय	32	19	आवश्यकतानुसार व्यय
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	11	11	आवश्यकतानुसार व्यय
06–अन्य भत्ते	511	363	आवश्यकतानुसार व्यय
07–मानदेय	50	40	आवश्यकतानुसार व्यय
08–कार्यालय व्यय	300	61	आवश्यकतानुसार व्यय
09–विद्युत देय	5610	3622	आवश्यकतानुसार व्यय
10–जलकर/जलप्रभार	57	57	मांग प्राप्त न होने के कारण
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50	13	आवश्यकतानुसार व्यय
16–व्यावसायिक तथा विशेष सुवाओं के लिए भुगतान	7000	1093	आवश्यकतानुसार व्यय
29–अनुरक्षण	700	100	आवश्यकतानुसार व्यय
42–अन्य व्यय	150	31	आवश्यकतानुसार व्यय
51–वर्दी	30	30	मांग प्राप्त न होने के कारण
योग 10 :–	**24247**	**11732**	
11–सड़कों पर जूता गाँठने वाले कारीगरों को दुकान निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	55800	55800	शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने कारण
12–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय			
01–वेतन	41148	4873	शा0सं0 06/2016/5096/26–3–2016 दि0 18.1.2016 द्वारा पुनर्विनियोग प्रश्नगत योजना के 16–व्यावसायिक मद में किया
02–मजदूरी	40000	19257	आवश्यकतानुसार व्यय
03–मंहगाई भत्ता	49378	6939	शा0सं0 06–2016/5096/25–3–2016 दि0 18.1.2016 द्वारा
04–यात्रा व्यय	390	120	आवश्यकतानुसार व्यय
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	173	125	तदैव
06–अन्य भत्ते	7700	2434	तदैव
07–मानदेय	100	60	तदैव
08–कार्यालय व्यय	1000	58	तदैव
09–विद्युत देय	5074	1420	तदैव
10–जलकर/जलप्रभार	150	21	तदैव
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1000	104	तदैव
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	9000	1038	तदैव
13–टेलीफोन पर व्यय	105	100	तदैव
16–व्यावसायिक तथा विशेष सुवाओं के लिए भुगतान	178400	12667	शा0सं0 06/2016/5096/26–3–2016 दि0 18.1.2016 द्वारा प्रश्नगत अधिष्ठान के मानक मद वेतन महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते तथा भोजन व्यय, शादी बीमारी योजना, पूर्वदशम कक्षा 1 [illegible]
17–किराया उपशुल्क एवं स्वामित्व	17	17	मांग प्राप्त न होने के कारण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1	2	3	4
19–विज्ञापन/बिक्री एवं विज्ञापन व्यय	250	2	आवश्यकतानुसार व्यय
29–अनुरक्षण	16000	1243	आवश्यकतानुसार व्यय
39–औषधि तथा रसायन	500	54	
41–भोजन व्यय	450000	161716	शा0से0 06/2016/5096/26–3–2016 दि0 18.1.2016 द्वारा प्रसंगत अधिष्ठान के मानक 16–व्यावसायिक सेवाओं में
42–अन्य व्यय	10120	626	आवश्यकतानुसार व्यय
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	225000	65118	आवश्यकतानुसार व्यय
45–अवकाश यात्रा व्यय	145	145	आवश्यकतानुसार व्यय
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1000	193	आवश्यकतानुसार व्यय
49–चिकित्सा व्यय	1000	193	आवश्यकतानुसार व्यय
51–वर्दी	500	347	आवश्यकतानुसार व्यय
योग 12 :–	1038150	278870	
13–विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण			
42–अन्य व्यय	25000	17108	आवश्यकतानुसार व्यय
योग–789	28175750	8093354	
योग 2225	28175750	8093354	
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02–समाज कल्याण			
789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
07–छात्र/छात्राओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	10000	10000	स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण बिल कोषागार से पारित
60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
04–वृद्धावस्था/किसान पेंशन(रा0सक्टर)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	2000000	15878	एन0आई0सी0 से मांग जनरेट न होने के कारण
06–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	500000	74770	जनपदों से समर्पण प्राप्त होने के कारण
10–समाजवादी पेंशन योजना			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	8071000	182426	मांग प्राप्त न होने के कारण
योग 789	10581000	283074	
योग–60	10581000	283074	
योग 2235	10581000	283074	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1	2	3	4
4225–अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01–अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
0101–उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अंशकों का क्रय (के0 51/रा0 49 के0+रा.)			
30–निवेश/ऋण	98039	98039	शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने कारण।
0103–अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिये छात्रावास का निर्माण (के0 100/के0+रा.)			
24–बृहद निर्माण कार्य	100000	100000	तदैव
योग–01 :–	198039	198039	
03–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 में पूंजी निवेश			
30–निवेश/ऋण	8000	4000	शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
04–अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना			
24–बृहद निर्माण कार्य	1	1	तदैव
05–रा0आश्रम पद्धति विद्यालयों का कक्षा 12 तक उच्चीकरण			
24–बृहद निर्माण कार्य	1	1	तदैव
06–अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण			
24–बृहद निर्माण कार्य	1	1	तदैव
07–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय			
24–बृहद निर्माण कार्य	400000	13	शा0सं0 59/2016/आर 984/26–3–2016–10(16)/2016टी0सी0 दि0 28.3.2016 द्वारा 128.39 लाख का अति पिछड़े अनु0जाति के समूहों के लिए [illegible]
08–स्वैच्छिक संस्थाओं/विश्वविद्यालय/विद्यालय परिसर में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1	2	3	4
24–बृहद निर्माण कार्य	30000	0	शा0स0 51/2016/आर 808/26–3–2016–4(58)/2015 दि0 18.3.2016 द्वारा रू0 32.94 लाख एवं शा0स0 59/2016/आर 984/26–3–2016– 10(16)/2016टी0सी0 दि0 28.3.2016 द्वारा 267.06 लाख का पुनर्विनियोग अति पिछड़े अनु0जा0समूहों के लिए गठीयान विकास योजना में 02–लघुकार्य कार्यों में पुनर्विनियोग
09–कोचिंग केन्द्र भवन का निर्माण	10000	10000	शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
24–बृहद निर्माण कार्य	646042	212055	
योग–789	646042	212055	
योग 01 :–	646042	212055	
योग–4225			
6225–अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कर्ज			
01–अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
03–धोबी समाज के व्यक्तियों को ब्याज रहित ऋण...	40770	12340	शासन से रू0 123.40 लाख की स्वीकृति प्राप्त न होने के
30–निवेश/ऋण	40770	12340	
योग–789	28175750	8093354	
2225–अनुसूचित जातियों का कल्याण	10581000	283074	
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	646042	212055	
4225–पूँजीगत परिव्यय	40770	12340	
6225–निवेश ऋण	39443562	8600823	
महायोग–2225+2235+4225+ 6225			

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।